



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 अप्रैल 2013—चैत्र 11, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. एफ ए 3-15-2013-1-पांच (22).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की अनुसूची 2 के भाग-दो की प्रविष्टि 55 की मद 217 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मोलेसेस को उक्त प्रविष्टि के प्रयोजन के लिये इण्डस्ट्रियल इनपुट के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरैशी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. एफ. ए 3-15-2013-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-15-2013-1-पांच (22), दिनांक 1 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरैशी, उपसचिव।

Bhopal, the 1st April 2013

No. F A 3-15-2013-1-V (22).—In exercise of the powers conferred by item 55 of entry 217 of Part-II of Schedule-II of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, specifies molasses as industrial input for the purpose of said entry.

2. This notification shall come into force from 1st April 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. R. QURESHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. एफ. ए 3-16-2013-1-पांच (23).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची एक में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची एक में, अनुक्रमांक 47 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द “मदिरा” के स्थान पर, शब्द, अक्षर और अंक “मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन सी.एस.-2/सीएस-2ख/एफ.एल.-1/एफ.एल.-1कक्कक अनुज्ञिधारक व्यापारी से भिन्न व्यापारी द्वारा विक्रय की गई मदिरा” स्थापित किए जाएं।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरैशी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. एफ. ए 3-16-2013-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए 3-16-2013-1-पांच (23), दिनांक 1 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरैशी, उपसचिव.

Bhopal, the 1st April 2013

No. F A-3-16-2013-1-V (23).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in Schedule I of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In Schedule I of the said Act, against serial number 47, in column (2), for the word “liquor”, the words, letters and figures “liquor sold by a dealer other than a dealer who holds C.S.-2/C.S-2B/F.L.-1/F.L.-1AAAA license under the Madhya Pradesh Excise Act, 1915” shall be substituted.

2. This notification shall come into force from 1st April 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. R. QURESHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. एफ. ए 3-15-2013-1-पांच (24).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 2 के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-5-1-2006-1-पांच (67), दिनांक 15 सितम्बर 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शब्द और अंक “भाग-तीन”, के स्थान पर, शब्द और अक्षर “भाग-तीन तथा भाग-तीन क” स्थापित किए जाएं।

2. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरैशी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. एफ. ए 3-15-2013-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए 3-15-2013-1-पांच (24), दिनांक 1 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरैशी, उपसचिव.

Bhopal, the 1st April 2013

No. F A-3-15-2013-1-V (24).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Section 2 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification's No. FA-5-1-2006-1-V (67), dated 15th September 2006, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, for the word and figure “Part-III”, the words figures and letters “Part-III and Part-III A” shall be substituted.

2. This amendment shall be deemed to have come into force from 1st April 2012.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. R. QURESHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. एफ.ए. 3-14-2013-1-पांच(25).—यह विचार है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में, निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में बिना पूर्व प्रकाशन के तत्काल किए जाएं;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 4 में, उपनियम (11) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(11) अपील बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में तथा पीठ इन्डौर में होगी.”.

(2) नियम 7 में, विद्यमान उपबंध के स्थान पर, निम्नलिखित उपबंध स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी ठेकेदार द्वारा किया गया दावा उप-ठेकेदार द्वारा प्ररूप 3 में जारी की जाने वाली घोषणा से समर्थित होगा और धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) या (घ) के अधीन किसी उप-ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा किया गया दावा यथास्थिति, ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा प्ररूप 3-क में जारी की जाने वाली घोषणा से समर्थित होगा, जो ऐसे दावों के सबूत में स्वीकार किया जाएगा.”.

(3) नियम 8 में,—

(एक) उपनियम (1) में, शब्द “साठ लाख रुपये” के स्थान पर, शब्द “एक करोड़ रुपये” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपनियम (4-क) में, शब्द “साठ लाख रुपये” और “तीस हजार रुपये” के स्थान पर, क्रमशः शब्द “एक करोड़ रुपये” और “पचास हजार रुपये” स्थापित किए जाएं,

(4) नियम 9 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(1क) धारा 14 के अधीन आगत कर रिवेट का दावा नहीं किया जाएगा और न ही उसे अनुज्ञात किया जाएगा, यदि किसी तिमाही में रूपये चालीस हजार से अधिक का क्रय और विक्रय की व्यापारीवार विवरण, विवरणी के साथ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिससे इलैक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।”.

(5) नियम 12 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदाय हेतु आवेदन की प्राप्ति से एक कार्य दिवस के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, आवेदक को रजिस्ट्रीकृत करेगा और प्ररूप 7 में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।”.

(6) नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“यदि इन नियमों के अधीन मंजूर किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र खो जाए, नष्ट हो जाए, विकृत हो जाए या पढ़ने योग्य न रह जाए, तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आवेदन करने और प्रत्येक प्रति के लिए पचास रुपए फीस का भुगतान करने पर, आवेदन प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति प्रदान करेगा। ऐसे प्रमाण-पत्र पर “दूसरी प्रति” की मोहर लाल स्थाही से अंकित की जाएगी।”.

(7) नियम 20 में,—

(एक) उपनियम (1) में, खण्ड (दो) में, शब्द “दस हजार रुपये” के स्थान पर, शब्द “बीस हजार रुपये तक” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपनियम (3) और (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

“(3) उपनियम (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपनियम (1) के अधीन व्यापारी से प्राप्त की गई प्रतिभूति 2 वर्ष की कालावधि के लिए रखी जाएगी।

(4) ऐसे व्यापारी, जिसने धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, से भिन्न व्यापारी उक्त कालावधि के दौरान अधिनियम की अपेक्षाओं का पालन करता है, तो प्रतिभूति मुक्त कर दी जाएगी।”.

(8) नियम 21 में,—

(एक) उपनियम (2) में, शब्द “व्यापारी स्वयं के तथा ऐसे व्यापारियों, जिनसे माल का क्रय किया गया है, के टिन का सही-सही उल्लेख करेगा” के स्थान पर, शब्द “व्यापारी स्वयं के तथा ऐसे व्यापारियों, जिनसे माल का क्रय किया गया है या जिन्हें माल का विक्रय किया गया है, के टिन का सही-सही उल्लेख करेगा” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपनियम (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2ख) उप नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसकी एक वर्ष में कुल राशि (टर्नओवर) सामान्यतः दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती है, और जो इलैक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी प्रस्तुत करता है, नियम 36 के उपबंधों के अनुसार वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए कर का भुगतान करेगा, और ऐसी प्रत्येक तिमाही के लिये प्ररूप 10 में त्रैमासिक विवरणी ऐसे भुगतान के प्रमाण सहित उस तिमाही के, जिससे विवरणी संबंधित है, की समाप्ति की तारीख से पचास दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा।”;

(तीन) उपनियम (5) का लोप किया जाए;

(चार) उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(9) इन नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विवरणी प्ररूप 10 के भाग ज और भाग ज क में, राज्य के भीतर, किसी तिमाही में रुपये चालीस हजार से अधिक के क्रय और विक्रय का व्यापारीवार विवरण, प्रस्तुत किया जाएगा.”.

(9) नियम 23 में, उपनियम (1) में, खण्ड (एक) में, शब्द “साठ लाख रुपये” के स्थान पर शब्द “एक करोड़ रुपये” स्थापित किए जाएं.

(10) नियम 24 का लोप किया जाए.

(11) नियम 25 का लोप किया जाए.

(12) नियम 30 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“30. धारा 20-क के अधीन स्वनिर्धारण तथा पुनःनिर्धारण के लिए व्यापारियों के चयन की सूचना—

(1) विवरणी स्वीकार करने की सूचना प्ररूप 22-क में होगी.

(2) आयुक्त, प्रतिवर्ष निदेश देगा कि प्रत्येक वृत्त में ऐसे व्यापारियों, जिनका धारा 20-क की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण हुआ समझा गया है, जैसे कि उसके द्वारा बनाई गई प्रणाली के अधीन चयनित हों, का उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन पुनः निर्धारण किया जाएगा.”.

(13) नियम 37 में,—

(एक) उपनियम (3) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(क) चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट रेखांकित होगा और निम्नलिखित पृष्ठांकन सहित मध्यप्रदेश सरकार को देय होगा :

“शीर्ष 0040-विक्रय, व्यापार आदि पर कर, (102)-राज्य विक्रय कर अधिनियम के अधीन प्राप्तियां-शीर्ष या विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल पर समय-समय पर उपलब्ध शीर्ष के अधीन मध्यप्रदेश सरकार को भुगतान करें.”.

(दो) उपनियम (6) में,—

(क) शब्द “इन्टरनेट के माध्यम से” के स्थान पर, शब्द “विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से या इन्टरनेट के माध्यम से” स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ग) इस उपनियम के अधीन संव्यवहार करने वाले बैंक, बैंक के अगले कार्य दिवस तक विभाग को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दैनिक स्क्रॉल भेजेगा.”.

(14) नियम 38 में, शब्द “यदि कर और/या शास्ति अथवा ब्याज की रकम” के स्थान पर शब्द “यदि कर और/या शास्ति या ब्याज या कुल राशि (टर्न ओवर) की रकम” स्थापित किए जाएं.

(15) नियम 39 में, शब्द “राजस्व संग्रहण” के स्थान पर, शब्द “नियम 37 के उप नियम (6) के उपबंधों के अनुसार किए गए संग्रहण से भिन्न राजस्व संग्रहण”, स्थापित किए जाएं.

(16) नियम 43-क में, उपनियम (2) में, खण्ड (घ) के पश्चात् पूर्णविराम के स्थान पर, अर्धविराम स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों की या प्रारंभ से, जो भी कम हो, अंकेक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का खाता.”.

(17) नियम 45 में,—

(एक) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(1 क) प्रथम बार इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप 31 या प्ररूप 32 में कोरे प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये कोई आवेदन प्राप्त होने पर, आयुक्त धारा 26 की उपधारा (1) और (2) के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यापारी से भिन हो, प्ररूप 32-ख में इलैक्ट्रॉनिक रूप में नामांकन प्रमाण-पत्र जारी करेगा.”.

(दो) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(3 क) यदि कोई प्ररूप 31 या प्ररूप 32 गुम हो जाता है, नष्ट हो जाता है या चुरा लिया जाता है तो व्यापारी इस तथ्य की रिपोर्ट उक्त प्राधिकारी को तत्काल करेगा और प्ररूप के गुमने या नष्ट होने या चोरी हो जाने की सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिये ऐसे कदम उठाएगा.”.

(18) नियम 53 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“53-क. धारा 37-क के अधीन अनंतिम प्रतिदाय के लिए आवेदन—

(1) धारा 37-क के अधीन अनंतिम प्रतिदाय के लिए आवेदन प्ररूप 40-क में होगा.

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जो धारा 37-क के अधीन अनंतिम प्रतिदाय के लिए आवेदन करने का इच्छुक है, इलैक्ट्रॉनिक रूप में, क्रय और विक्रय का व्यापारीवार विवरण, इलैक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी के साथ क्रय और विक्रय के टर्न ओवर की रकम पर विचार किए बिना प्रस्तुत करेगा.

(3) विवरणी के साथ इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत विवरण में शामिल क्रयों, जिनका विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा प्रस्तुत विवरणी के साथ इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत विवरण में सम्मिलित विक्रयों से मिलान होता है, की सीमा तक, आयुक्त आगत कर रिबेट से संबंधित क्रयों के सत्यापन के लिये प्रतीक्षा नहीं करेगा.”.

(19) नियम 56 में, सारणी में,—

(एक) अनुक्रमांक 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“6क 21-क किसी आकस्मिक व्यापारी को अनुमति देना सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.”;

(दो) अनुक्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“8 26 (एक) किसी व्यक्ति को नामांकित करना सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

(दो) शास्ति अधिरोपित करना सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.”;

(तीन) अनुक्रमांक 10 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“10क 37-क असमायोजित आगत कर रिबेट के प्रतिदाय की मंजूरी. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.”;

(चार) अनुक्रमांक 18क के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“18कक 62 (एक) किसी परिवहनकर्ता को नामांकित करना सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

(दो) शास्ति अधिरोपित करना सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.”.

(20) नियम 78 में,—

(एक) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(1क) उपनियम (1) में अंतविष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य के बाहर किसी स्थान के राज्य के बाहर किसी स्थान को ले जाए जा रहे धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित माल के मध्यप्रदेश राज्य में यानान्तरण में संलग्न माल परिवहन करने वाला व्यक्ति (परिवहनकर्ता), इस उपनियम के प्रवृत्त होने या व्यवसाय प्रारंभ करने की तारीख से, जो भी बाद में हो, तीस दिन के भीतर प्ररूप 61-क में नामांकन के लिये आवेदन करेगा, और वाणिज्यिक कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अन्य अधिकारी से उसके लिये अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा.”;

(दो) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

“(2क) उपनियम (1 क) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, वाणिज्यिक कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उसमें दी गई विशिष्टियां प्ररूप 62 में रजिस्टर में दर्ज करेगा और प्ररूप 61-ख में नामांकन प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा.

(2ख) धारा 62 की उपधारा (1 क) के अधीन प्रस्तुत किया जाने के लिए अपेक्षित पत्रक प्ररूप 61-ग में होगा और उक्त उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिये त्रैमास समाप्ति के 30 दिन के भीतर, उस वृत्त के, जिसके अधिकार क्षेत्र में, उक्त व्यक्ति का कार्यालय स्थित है, के वाणिज्यिक कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा.

(2ग) उपनियम (1 क), (2 क) और (2 ख) के उपबंध अधिकृत वेब पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में नामांकन और पत्रक प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध होते ही लागू होंगे.”.

(21) नियम 84-क में, उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाए अर्थात् :—

“(4) जब तक कि अधिसूचना में विशिष्ट रूप से उल्लेख न किया जाए, इलैक्ट्रॉनिक रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कोई शुल्क भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं होगा.”.

(22) प्ररूप 3-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“प्ररूप 3-क

(नियम 7 देखिए)

घोषणा

मैं, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन टिन. धारण करने वाला व्यापारी, एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 11-क के अधीन प्रशमन का विकल्प, संकर्म संविदा क्रमांक. दिनांक रूपये (अंकों में) (शब्दों में) के संबंध में लिया है और (पदनाम) (वृत्त) द्वारा आदेश क्र. दिनांक से अनुमति प्रदान की गई है. संकर्म संविदा का निष्पादन श्री (उप-ठेकेदार का नाम) पता द्वारा मेरे लिए और मेरी ओर से पूर्णतः/*अंशतः किया जा रहा है. रजिस्ट्रीकरण पत्र क्रमांक (टिन) द्वारा मेरे लिए और मेरी ओर से पूर्णतः/*अंशतः किया जा रहा है.

अथवा

मैं, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन टिन. धारण करने वाला व्यापारी, एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 11-क के अधीन प्रशमन का विकल्प, संकर्म संविदा क्रमांक. दिनांक रूपये (अंकों में) (शब्दों में) के संबंध में लिया है और (पदनाम) (वृत्त) द्वारा आदेश क्र. दिनांक से अनुमति प्रदान की गई है. संकर्म संविदा का निष्पादन मेरे द्वारा श्री (ठेकेदार का नाम) पता टिन के लिए और की ओर से पूर्णतः/*अंशतः किया जा रहा है.

स्थान :

तारीख :

ठेकेदार/*उप ठेकेदार के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दें.”.

(23) प्ररूप 6 में, भाग ख में, सारणी में, कॉलम (11) और (12) को कॉलम (12) और (13) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए, और,—

(एक) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित कॉलम (12) के पूर्व निम्नलिखित कॉलम और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए; अर्थात् :—

“आधार क्रमांक
(11)”;

(दो) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित कॉलम (13) में, कोष्ठक और अंक “(8)” के स्थान पर, कोष्ठक और अंक “(12)” स्थापित किए जाएं.

(24) प्ररूप 6 क में, भाग ख में, सारणी में, कॉलम (11) और (12) को कॉलम (12) और (13) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए, और,—

(एक) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित कॉलम (12) के पूर्व निम्नलिखित कॉलम और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“आधार क्रमांक
(11)”;

(दो) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित कॉलम (13) में, कोष्ठक और अंक “(11)” के स्थान पर, कोष्ठक और अंक “(12)” स्थापित किए जाएं.

(25) प्ररूप 6 ख में, भाग ख में, सारणी में, कॉलम (11) और (12) को कॉलम (12) और (13) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए, और,—

(एक) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित कॉलम (12) के पूर्व निम्नलिखित कॉलम और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“आधार क्रमांक
(11)”;

(दो) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित कॉलम (13) में, कोष्ठक और अंक “(11)” के स्थान पर, कोष्ठक और अंक “(12)” स्थापित किए जाएं.

(26) प्ररूप 10 में,—

(एक) भाग ख, भाग ग, भाग ड और भाग च में, “कर की दर” से संबंधित कॉलम में, अंक “1, 4/5, 12.5” का लोप किया जाए;

(दो) भाग घ में, अंक “4” जहां कहीं भी वह आया हो का लोप किया जाए;

(तीन) भाग ज में,—

(क) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“क्रयों का विवरण

(राज्य के भीतर अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट मालों का व्यापारीवार क्रय)”;

(ख) सारणी में, कॉलम “वेट की रकम” के पूर्व, नया कॉलम “कर की दर” अंतःस्थापित किया जाए;

(चार) भाग ज के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“भाग-ज क : विक्रयों का विवरण

(राज्य के भीतर अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट मालों का व्यापारीवार विक्रय)

व्यापारी का नाम	टिन	कुल विक्रय शुद्ध बेट	कर की दर	बेट की रकम
	23			
	23			”.

(27) प्ररूप 10-ख में, भाग ड में,—

(एक) शीर्षक में, अंक “25,000” के स्थान पर, अंक “40,000” स्थापित किए जाएं;

(दो) सारणी में, प्रथम कॉलम में शब्द “क्रेता/पट्टाधारी का नाम व पता” के स्थान पर शब्द “व्यापारी का नाम” स्थापित किए जाएं।

(28) प्ररूप 11, प्ररूप 12, प्ररूप 13 और प्ररूप 14 का लोप किया जाए.

(29) प्ररूप 22 में,—

(एक) भाग क के पूर्व, चौखाना “(वर्णनात्मक आदेश के लिए स्थान)” अभिलेख के साथ अंतःस्थापित किया जाए;

(दो) भाग क में, मद 2 में, उपमद (झ) के पश्चात् निम्नलिखित उपमद अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(झक) माल का मूल्य जिस पर वजन, मात्रा, माप या इकाई के आधार पर कर उद्ग्रहणीय है”;

(तीन) भाग ख, भाग ग, भाग ड और भाग च में, “कर की दर” से संबंधित कॉलम में, अंक “1, 4/5, 12.5” का लोप किया जाए;

(चार) भाग ख के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“भाग-ख क : कतिपय मालों पर वजन, मात्रा, माप या इकाई के आधार पर कर

माल का विवरण	बेट की दर	वजन/मात्रा/ माप/इकाई	माल की कर कुल राशि
			कुल ”;

भाग ख ख : धारा 9-ग के अधीन देय रकम

(क) धारा 9-ग की उपधारा (1) के अधीन देय कर

1. भाड़ा
2. कटौतियां (विनिर्दिष्ट करें)
3. कर योग्य भाड़ा (1-2)
4. देय कर की दर से

(ख) धारा 9-ग की उपधारा (4) के खण्ड (ड) के अधीन देय रकम

1. धारा 9-ग (4) (क) के अधीन काटी गई रकम
2. धारा 9-ग (4)(घ) के अधीन काल्पनिक रूप से अनुज्ञेय रिबेट के बराबर रकम
3. देय रकम (1-2)

(ग) देय कुल रकम [(क)+(ख)]

भाग ख ग : धारा 26-क की उपधारा (5) के अधीन देय रकम

1. धारा 26-क (1) के अधीन काटी गई रकम
2. धारा 26-क (7) के अधीन काल्पनिक रूप से अनुज्ञेय रिबेट के बराबर रकम
3. देय रकम (1-2)'';

(पांच) भाग घ में, अंक “4”, जहां कहीं भी वह आया हो, को लोप किया जाए;

(छह) भाग च के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“भाग च क : समायोजन हेतु आगत कर रिबेट

1. आगत कर रिबेट (ड+च)
2. पिछले वर्ष से लाई गई आगत कर रिबेट
3. आगामी वर्ष में ले जाई गई रिबेट
4. शुद्ध आगत कर रिबेट (1+2-3)
5. वेट के विरुद्ध समायोजन
6. केन्द्रीय विक्रय कर के विरुद्ध समायोजन
7. आगत कर की शुद्ध राशि जिसके लिये नगद वापसी चाही गई है”;

(सात) भाग झ के स्थान पर, निम्नलिखित भाग स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“भाग झ : देयता/वापसी

1. कुल राशि (ख+खक+खख+खग+ग+घ+छ+ज)
2. आस्थगित कर की राशि (दिनांक को देय)
3. छूट प्राप्त कर की राशि
4. देय शुद्ध राशि [1-(2+3)]
5. स्रोत पर कर कटौती की क्रेडिट
6. वापसी समायोजन आदेश (स्वयं के) की क्रेडिट
7. वापसी समायोजन आदेश (दूसरों से प्राप्त) की क्रेडिट
8. चालान से जमा राशि
9. अन्य भुगतान (यदि कोई हों)
10. क्रेडिट का योग (5+6+7+8+9)

11. आगत कर रिबेट (च क-5)
 12. देय/वापसी योग्य शेष

 13. तारीख जब तक भुगतान किया जाना है
 14. जहां भुगतान किया जाना है
 (30) प्ररूप 22 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्:—

“प्ररूप 22-क

[नियम 30 (1) देखिए]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 20-क की उपधारा (1) के अधीन विवरणी स्वीकार करने की सूचना

टिन 2 3

कालावधि	तारीख मास	वर्ष	से	तारीख	मास	वर्ष
व्यापारी का नाम तथा पता (मुद्रा अंकित करें)						
1. कुल टर्न ओवर (जी. टी. ओ.)						
2. कटौतियां						
3. करयोग्य टर्नओवर (1-2)						
4. वेट						
5. क्रय कर						
5क. धारा 9-ग के अधीन देय रकम						
5ख. धारा 26-क (5) के अधीन देय रकम						
6. आगत कर रिबेट का रिवर्सल						
7. विलंबित भुगतान पर ब्याज (यदि कोई हो)						
8. आस्थगित/छूट प्राप्त कर की रकम						
9. कुल देय रकम (4+5+5क+5ख+6+7—8)						
10. आगत कर रिबेट						
11. पूर्व वर्ष से लाई गई आगत कर रिबेट						
12. अन्य क्रेडिट (टीडीएस, आरएओ आदि)						
13. चालान से जमा रकम						
14. आगामी वर्ष में ले जाई गई आगत कर रिबेट						

उपरोक्त कालावधि से संबंधित विवरणियां स्वीकार की गई और धारा 20-क के अधीन उनका कर निर्धारण कर दिया गया समझा गया।

स्थान:

तारीख:

मुद्रा

निर्धारक अधिकारी के हस्ताक्षर”.

- (31) प्ररूप 26 में, अंक, शब्द और कोष्ठक मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन “0040—वेट कर (110)—व्यापार कर, (0678)” के स्थान पर, अंक, शब्द और कोष्ठक “0040—विक्रय, व्यापार आदि पर कर, (102)—राज्य विक्रय कर अधिनियम के अधीन प्राप्तियां” स्थापित किए जाएं।
- (32) प्ररूप 27 में, अंक, शब्द और कोष्ठक मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन “040—विक्रय, व्यापार आदि पर कर (110))—व्यापार कर, (0678)” के स्थान पर, अंक, शब्द और कोष्ठक “0040—विक्रय, व्यापार आदि पर कर, (102)—राज्य विक्रय कर अधिनियम के अधीन प्राप्तियां” स्थापित किए जाएं।
- (33) प्ररूप 32—क के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“प्ररूप 32—ख

[नियम 45 (2—ग) देखिए]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 26 की उपधारा (2 क) के अधीन नामांकन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि (केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्थानीय निकाय/ सार्वजनिक मर्यादित कंपनी, को (कार्यालय का नाम और पता) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 26 की उपधारा (2क) के अधीन दिनांक से नामांकित किया गया है।

मुद्रा

दिनांक

हस्ताक्षर
पदनाम”.

- (34) प्ररूप 40 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“प्ररूप 40—क

(नियम 53 देखिए)

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 37—क के अधीन अनंतिम प्रतिदाय के लिए आवेदन

प्रति,

• • • • •
• • • • •
• • • • •

मैं, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 14 की उपधारा (4) के खण्ड (दो) के अधीन असमायोजित आगत कर रिबेट के प्रतिदाय का दावा करने के लिए पात्र होने के कारण, उक्त अधिनियम की धारा 37—क की उपधारा (1) के अधीन अनंतिम प्रतिदाय मंजूर करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ, विवरण निम्नानुसार है:—

टिन 2 3

कालावधि	तारीख मास	वर्ष	से	तारीख	मास	वर्ष
---------	-----------	------	----	-------	-----	------

व्यापारी का नाम तथा पता

(मुद्रा अंकित करें)

1. कुल टर्न ओवर (जी. टी. ओ.)
2. कटौतियां
3. करयोग्य टर्नओवर (1-2)

4. वेट
5. क्रय कर
- 5क. धारा 9-ग के अधीन देय रकम
- 5ख. धारा 26-क (5) के अधीन देय रकम
6. आगत कर रिबेट का रिवर्सल
7. विलंबित भुगतान पर ब्याज (यदि कोई हो)
8. आस्थगित/छूट प्राप्त कर की रकम
9. कुल देय रकम
(4+5+5क+5ख+6+7-8)
10. आगत कर रिबेट
11. पूर्ववर्ती वर्ष से लाई गई आगत कर रिबेट
12. अन्य क्रेडिट (टीडीएस, आरएओ आदि)
13. चालान से जमा रकम
14. आगामी वर्ष में ले जाई गई आगत कर रिबेट
15. प्रतिदाय के रूप में दावाकृत असमायोजित आगत कर रिबेट

घोषणा

मैं, (नाम) उपरोक्त व्यवसाय फर्म का होते हुए एतद्वारा, घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी एवं विवरण, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं, और प्रस्तुत विवरणियों तथा लेखापुस्तकों पर आधारित हैं।

स्थान:

तारीख:

व्यापारी के हस्ताक्षर

नोट.—यह प्ररूप मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 11 के उपनियम (1) में यथा विहित किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

अभिस्वीकृति

प्ररूप 40—क प्राप्ति क्रमांक तारीख / /

टिन 2 3

कालावधि	तारीख	मास	वर्ष	से	तारीख	मास	वर्ष
---------	-------	-----	------	----	-------	-----	------

व्यापारी का नाम तथा पता

(मुद्रा अंकित करें)

वृत्त कार्यालय

प्राप्त करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर

(कर्मचारी का आई.डी. क्रमांक)”।

(35) प्ररूप 41—क में,—

(एक) भाग ग्यारह में, मद (घ) और (ड) में, अंक “25,000” के स्थान पर, अंक “40,000” स्थापित किया जाए;

(दो) मद (ड) के पश्चात्, नोट में, कोष्ठक और अक्षर “(च)”, के स्थान पर, कोष्ठक और अक्षर “(घ)” स्थापित किए जाएं।

(36) प्ररूप 61 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“प्ररूप 61-क

[नियम 78 (1 क) देखिए]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 62 की उपधारा (1 क) के अधीन नामांकन के लिए आवेदन

प्रति,

.....(पदनाम),

.....वृत्त

मैं,के नाम से से ज्ञात स्वत्वधारी संस्थान /* फर्म /* सोसायटी /* कंपनी का स्वामी /* प्रबंधक /* संचालक जिसका कार्यालय(पता) में स्थित है, एतद्वारा सूचित करता हूं कि,—

1. मैं आपके वृत्त की अधिकारिता के भीतर पूर्वोक्त नाम से माल के परिवहन का कारबार करता हूं.
2. मैं राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को ले जाए जा रहे धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित माल के मध्यप्रदेश राज्य में यानान्तरण में संलग्न हूं.

अनुरोध है कि नामांकन प्रमाण-पत्र मंजूर किया जाए.

स्थान हस्ताक्षर

तारीख प्राप्तिः

अभिस्वीकृति

.....(कारबार का नाम) के श्री से स्थान पर प्ररूप 61—क में आवेदन प्राप्त हुआ.

.....(पदनाम)

.....(वृत्त)

“प्ररूप 61-ख

[नियम 78 (2 क) देखिए]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 62 की उपधारा (1 क) के अधीन नामांकन प्रमाण-पत्र

क्र. 2 3

प्रमाणित किया जाता है किके नाम से ज्ञात स्वत्वधारी संस्थान /* फर्म /* सोसायटी /* कंपनी का स्वामी /* प्रबंधक /* संचालक जिसका कार्यालय(पता) में स्थित है, और जो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को ले जाए जा रहे अधिसूचित माल के, मध्यप्रदेश राज्य में यानान्तरण में संलग्न है, को उक्त अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1 क) के अधीन (दिनांक) से नामांकित किया गया है.

मुद्रा हस्ताक्षर

दिनांक पदनाम.

“प्ररूप 61—ग

[नियम 78 (2 ख) देखिए]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 62 की उपधारा (1 क) के अधीन
यानान्तरित किए गए माल का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

परिवहनकर्ता का नाम और पता

नामांकन क्रमांक

यानान्तरण का स्थान

कालावधि

.....से तक

अ. क्र.	परेषक का नाम व पता (टिन सहित)	परेषिती का नाम व पता (टिन सहित)	स्थान जिससे माल भेजा गया है	गंतव्य स्थान (जिला सहित)	बीजक क्रमांक व तारीख	माल का विवरण व मात्रा/वजन	मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

यानान्तरण से पूर्व परिवहनकर्ता का नाम व पता	बिल्टी क्रमांक व दिनांक/ वाहन क्रमांक	यानान्तरण के पश्चात् परिवहनकर्ता का नाम व पता	कॉलम 11 के परिवहनकर्ता पैन/सेवाकर पंजीयन क्रमांक	बिल्टी क्रमांक व दिनांक/ वाहन क्रमांक	प्ररूप 59 तारीख	प्रवेश चौकी का नाम	निर्मां जांच चौकी का नाम
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

स्थान हस्ताक्षर
तारीख प्राप्ति

अभिस्वीकृति

.....(कारबार का नाम) के श्री
से स्थान पर प्ररूप 61—ग में आवेदन प्राप्त हुआ.

..... (पदनाम)

..... (वृत्त)''

(37) (एक) खण्ड (8) द्वारा किया गया संशोधन 1 अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों को लागू होगा।

(दो) खण्ड (9) के द्वारा किया गया संशोधन 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों को लागू होगा।

(तीन) शेष संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरैशी, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्र. एफ. ए 3-14-2013-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए 3-14-2013-1-पांच (25), दिनांक 1 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. आर. कुरैशी, उपसचिव.

Bhopal the 1st April 2013

No. F-A 3-14-2013-1-V (25).—WHEREAS, the State Government considers that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Gazette;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

- (1) in rule 4, for sub-rule (11), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(11) The Headquarters of the Appellate Board shall be at Bhopal and its bench at Indore.".
- (2) in rule 7, for the existing provision, the following provision shall be substituted, namely:—

"A claim made by a contractor under clause (b) of sub-section (1) of Section 7 shall be supported by a declaration in Form 3 to be issued by the sub-contractor and a claim made by a sub-contractor or contractor under clause (c) or (d) of sub-section (1) of Section 7 shall be supported by a declaration in Form 3-A to be issued by the contractor or sub-contractor, as the case may be, which shall be admitted in proof of such claims.".
- (3) in rule 8,—
 - (i) in sub-rule (1), for the words "rupees sixty lacs", the words "rupees one crore" shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (4-A), for the words "rupees sixty lacs" and "rupees thirty thousand", the words "rupees one crore" and "rupees fifty thousand" shall respectively be substituted.
- (4) in rule 9, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1A) No input tax rebate under section 14, shall be claimed or be allowed, if details of dealer wise purchases and sales within the State, exceeding rupees forty thousand in a quarter, is not furnished electronically along with return filed by a registered dealer required to furnish return in electronic form.".
- (5) in rule 12, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Within one working day from the receipt of application for grant of a registration certificate, the Registering Authority shall register the applicant and issue a registration certificate in Form 7.".
- (6) for rule 13, the following rule shall be substituted, namely:—

"If a registration certificate granted under these rules is lost, destroyed, defaced or becomes unintelligible, the Registering Authority shall on application and on payment of a fee of rupees fifty per copy, grant a duplicate registration certificate within seven working days from the date of receipt of the application. Such certificate shall be stamped "Duplicate" in red ink.".

- (7) in rule 20,—
- (i) in sub-rule (1), in clause (ii), for the words "rupees ten thousand", the words "upto rupees twenty thousand" shall be substituted;
 - (ii) for sub-rule (3) and (4), following sub-rules shall be substituted, namely:—
- "(3) Subject to the provisions of sub-rule (4), the security obtained from a dealer under sub rule (1) shall be held for a period of 2 years.
- (4) If the dealer, other than a dealer who has obtained a registration certificate under clause (c) of sub-section (2) of section 17, complies with the requirement of the Act during the said period, security shall be released.".
- (8) in rule 21,—
- (i) in sub-rule (2), for the words "the dealer shall mention correctly the TIN of self and the dealers from whom the goods have been purchased", the words "the dealer shall mention correctly the TIN of self and the dealers, from whom the goods have been purchased or to whom the goods have been sold" shall be substituted;
 - (ii) after sub-rule (2A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
- "(2B) Notwithstanding anything to the contrary in sub-rule (2), a registered dealer whose turnover in a year does not ordinarily exceed rupees two crores and who furnishes returns electronically, shall pay tax for every quarter of a year in accordance with the provisions of rule 36, and shall furnish for each of the quarter a quarterly return in form 10 along with proof of such payments within fifty days of the expiry of the quarter to which the return relates.".
- (iii) sub-rule (5) shall be omitted;
 - (iv) After sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
- "(9) Notwithstanding anything to the contrary in these rules, in PART J and PART JA of return Form 10, details of dealer wise purchases and sales within the State, exceeding rupees forty thousand in a quarter, shall be furnished.".
- (9) in rule 23, in sub-rule (1), in clause (i), for the words "rupees sixty lacs", the words "rupees one crore" shall be substituted;
- (10) rule 24 shall be omitted;
- (11) rule 25 shall be omitted;
- (12) for rule 30, the following rule shall be substituted, namely:—
- "30. Intimation of self assessment and selection of dealers for reassessment under section 20-A—
- (1) Intimation of acceptance of returns shall be in Form 22-A.
 - (2) The Commissioner shall direct every year that such dealers in each circle, deemed to have been assessed under sub-section (1) of section 20-A as may be selected under a system that may be evolved by him, shall be reassessed under sub-section (3) of the said section.".
- (13) in rule 37,—
- (i) in sub-rule (3), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
- "(a) the cheque or bank draft shall be crossed and made payable to the Government of Madhya Pradesh with the following endorsement :

'Pay to Government of Madhya Pradesh under head 0040-tax on sales, trade etc. (102)- receipts under the State Sales Tax Act or the head available on the official web portal from time to time';";

(ii) in sub-rule (6),—

(a) for the words "through internet", the words "through official web portal of the department or through internet" shall be substituted;

(b) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) Banks transacting under this sub-rule, shall send daily scroll electronically to the department by banks' next working day.".

(14) in rule 38, for the words "If the amount of tax and / or penalty or interest", the words "If the amount of tax and / or penalty or interest or turnover" shall be substituted.

(15) in rule 39, for the words "collections of revenue", the words "collections of revenue, other than collections made in accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 37," shall be substituted.

(16) in rule 43-A, in sub-rule (2), after clause (d) for full stop the semi colon shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely:—

"(e) audited balance sheet, profit and loss account for the last three financial years or since inception, whichever is less.".

(17) in rule 45,—

(i) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1-A) On receipt of an application for obtaining blank certificate in Form 31 or Form 32 electronically for the first time, the commissioner shall issue an enrolment certificate electronically in Form 32-B to the person other than a dealer registered under this Act, responsible for deduction of tax under sub-sections (1) and (2) of section 26.";

(ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3-A) If a Form 31 or Form 32 is lost, destroyed or stolen, the dealer shall report the fact to the said authority immediately and take such other steps to issue public notice of the loss, destruction or theft.".

(18) after rule 53, the following rule shall be inserted, namely:—

"53-A. Application for provisional refund under section 37-A.—

(1) An application for provisional refund under section 37-A shall be in Form 40-A.

(2) A registered dealer who wishes to apply for provisional refund under section 37-A, shall furnish complete details of dealer wise purchases and sales electronically along with return in electronic form, irrespective of the amount of turnover of purchases and sales.

(3) The commissioner shall not wait for verification of purchases relating to input tax rebate, to the extent of reconciled purchases included in the details furnished electronically alongwith return, with the sales included in the details furnished electronically alongwith return filed by the selling registered dealer.".

(19) in rule 56, in the table,—

(i) after serial number 6, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"6A. 21-A (i) To permit a casual dealer

Assistant Commercial Tax Officer";

(ii) for serial number 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

"8. 26 (i) To enroll a person Assistant Commercial Tax Officer

(ii) To impose penalty Assistant Commercial Tax Officer.";

(iii) after serial number 10, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"10A. 37-A To grant refund of unadjusted input tax rebate Assistant Commercial Tax Officer.";

(iv) after serial number 18A, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"18AA. 62 (i) To enroll a transporter Assistant Commercial Tax Officer

(ii) To impose penalty Assistant Commercial Tax Officer.".

(20) in rule 78,—

(i) After sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1A) Notwithstanding anything to the contrary in sub-rule (1), a person transporting goods (transporter) involved in trans-shipment in the State of Madhya Pradesh of goods notified under sub-section (2) of Section 57 carried from a place outside the State to a place outside the State, shall make an application in Form 61-A for enrolment within thirty days from the date of coming into force of this sub-rule or the commencement of business, whichever is later, and obtain an acknowledgement therefore from the Commercial Tax Officer or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf.";

(ii) After sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(2A) The Commercial Tax Officer or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf shall, on receipt of application under sub-rule (1A), enter in a register in form 62 the particulars given therein and then grant an enrolment certificate in Form 61-B.

(2B) The statement required to be furnished under sub-section (1A) of Section 62 shall be in Form 61-C and shall be furnished for every quarter of a year by the person referred to in sub-section (1A) of Section 62 to the Commercial Tax Officer or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf of the Circle in whose jurisdiction the Office of the person is situated, within thirty days of the expiry of the quarter.

(2C) The provisions of sub-rules (1A), (2A) and (2B) shall be applicable as and when facility for enrolment and submission of statement electronically is available on the official web portal.".

(21) in rule 84-A, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4) No fee shall be required to be paid for furnishing a document electronically, unless specifically mentioned in the notification.".

(22) for Form 3-A, the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM 3-A

[See Rule 7]

DECLARATION

I, _____ a dealer holding TIN._____ under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, hereby, declare that I have opted for composition under section 11-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 in respect of the works contract No.dated.....for Rs. (in figures) (in words) and have been granted permission vide order No. dated..... by the(designation),(Circle). The works contract is being executed in whole /*in part for and on behalf of me by (name of the sub-contractor) _____ (address) _____ (TIN)_____.

OR

I, _____ a dealer holding TIN._____ under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, hereby, declare that I have opted for composition under section 11-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 in respect of the works contract No.dated.....for Rs. (in figures) (in words) and have been granted permission vide order No. dated..... by the(designation),(Circle). The works contract is being executed by me in whole / *in part for and on behalf of (name of the contractor) _____ (address) _____ (TIN)_____.

Place :

Date _____

Signature of the *contractor/sub-contractor

* Strike out whichever is not applicable.”

(23) in Form 6, in PART B, in the table, column (11) and (12) shall be renumbered as column (12) and (13), and,—

(i) before column (12) so renumbered, following column and entry relating thereto shall be inserted, namely:—

"Adhar No.

(11)";

(ii) in column (13) so renumbered, for the bracket and figure "(8)", the bracket and figure "(12)" shall be substituted.

(24) in Form 6-A, in PART B, in the table,- column (11) and (12) shall be renumbered as column (12) and (13), and,—

(i) before column (12) so renumbered, following column and entry relating thereto shall be inserted, namely:—

"Adhar No.

(11)";

(ii) in column (13) so renumbered, for the bracket and figure "(11)", the bracket and figure "(12)" shall be substituted.

(25) in Form 6-B, in PART B, in the table,- column (11) and (12) shall be renumbered as Column (12) and (13), and,—

(i) before column (12) so renumbered, following column and entry relating thereto shall be inserted, namely:—

"Adhar No.

(11)";

(ii) in column (13) so renumbered, for the bracket and figure "(11)", the bracket and figure "(12)" shall be substituted.

(26) In Form 10,—

(i) in PART B, PART C, PART E and PART F, in column relating to "Rate of Tax", the figures "1, 4/5, 12.5" shall be omitted;

(ii) in PART D, the figure "4" wherever it occur shall be omitted;

(iii) in PART J,—

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:—

"Details of purchases

(Dealer-wise purchases within the State, of goods specified in Schedule II);

(b) in the table, before the column "Amount of VAT", the new column "Rate of tax" shall be inserted;

(iv) after PART J, following PART shall be inserted, namely:—

"PART JA : Details of sales

(Dealer-wise sales within the State, of goods specified in Schedule II)

Name of Dealer	TIN	Total sales net of VAT	Rate of tax	Amount of VAT
2 3				
2 3				".

(27) In Form 10-B, in PART E,—

(i) in the heading, for the figure "25,000", the figure "40,000" shall be substituted;

(ii) in the table, in the first column for the words "Name and address of purchaser / lessee", the words "Name of dealer" shall be substituted.

(28) Form 11, Form 12, Form 13 and Form 14 shall be omitted.

(29) in Form 22,—

(i) Before PART A, a box with the inscription within "(space for descriptive order)" be inserted;

(ii) in Part A, in item 2, after sub-item (i), the following sub-item shall be inserted, namely:—

"(i a) Value of goods on which tax is leviable on the basis of weight, volume, measurement or unit";

- (iii) in PART B, PART C, PART E and PART F, in column relating to "Rate of Tax", the figures "1, 4/5, 12.5" shall be omitted;
- (iv) after Part B, the following Parts shall be inserted, namely:—

"PART BA : Tax by weight, volume, measurement or unit on certain goods

Description of goods	Rate of Tax	Weight/volume/ measurement/ unit	Turnover of goods	Tax
				Total : ";

PART BB : Amount payable under Section 9-C.

- (a) Tax payable under sub-section (1) of Section 9-C.
1. Freight
 2. Deduction (specify)
 3. Taxable freight (1-2)
 4. Tax payable @.....
- (b) Amount payable under clause (e) of sub-section (4) of Section 9-C.
1. Amount deducted u/s 9-C (4)(a)
 2. Amount equal to rebate notionally admissible u/s 9-C (4)(d)
 3. Amount payable (1-2)
- (c) Total amount payable {(a)+(b)}

PART BC : Amount payable under sub-section (5) of Section 26-A.

1. Amount deducted u/s 26-A (1)
2. Amount equal to rebate notionally admissible u/s 26-A (7)
3. Amount payable (1-2) ";

(v) in PART D, the figure "4" wherever it occurs shall be omitted;

(vi) after Part F, the following Part shall be inserted, namely:—

"PART FA : Input Tax Rebate for Adjustments

1. Input Tax Rebate (E+F)
2. Input Tax Rebate carried over from previous year
3. Input Tax Rebate carried over to next year
4. Net Input Tax Rebate (1+2-3)
5. Adjustment against VAT
6. Adjustment against Central Sales Tax
7. Amount of Net Input Tax for which cash refund is asked for

(vii) for Part I, the following Part shall be substituted, namely :—

PART I : Payability /Refund

1. Total Amount (B+BA+BB+BC+C+D+G+H)

2. Amount of tax deferred (payable on date
 3. Amount of tax exempted
 4. Net Amount Payable [1-(2+3)]
 5. Credit of tax deducted at source
 6. Credit of R.A.O. (Self)
 7. Credit of R.A.O. (received from others)
 8. Amount paid by challans
 9. Other payments (if any)
 10. Total of credits (5+6+7+8+9)
 11. Input Tax Rebate (FA-5)
 12. Balance Payable/Refundable
 13. Pay by Date
 14. Pay at
- Within 30 days of receipt of Order
Madhya Pradesh Treasury.....";

(30) after Form 22, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM 22-A
[See Rule 30(1)]

**Intimation of acceptance of returns under sub-section (1) of Section 20-A of the
Madhya Pradesh Vat Act, 2002**

TIN 2 3

Period	DD	MM	YYYY	To	DD	MM	YYYY
--------	----	----	------	----	----	----	------

Name and address of the Dealer
(Affix seal)

1. Gross Turnover (GTO)
2. Deductions
3. Taxable Turnover (1-2)
4. Vat
5. Purchase tax
- 5A. Amount payable u/s 9-C
- 5B. Amount payable u/s 26-A (5)
6. Reversal of Input Tax Rebate
7. Interest for Late Payment (if any)
8. Amount of tax deferred / exempted
9. Total amount payable (4+5+5A+5B+6+7-8)
10. Input Tax Rebate
11. Input Tax Rebate carried forward from previous year

12. Other credits (TDS, RAO etc.)
13. Amount paid by challans
14. Input Tax Rebate carried over to next year

The returns pertaining to the period mentioned above have been accepted and assessment has been deemed to have been made under section 20-A.

Place :

Date :

Seal

Signature of the Assessing Officer".

- (31) in Form 26, for the figures, words and brackets "0040 Vat Tax (110) Trade Tax, (0678) under the Madhya Pradesh VAT Act, 2002", the figures, words and brackets "0040-tax on sales, trade etc. (102)- receipts under the State Sales Tax Act" shall be substituted;
- (32) in Form 27, for the figures, words and brackets "040 Vat Tax (110) Trade Tax, (0678) under the Madhya Pradesh VAT Act, 2002", the figures, words and brackets "0040-tax on sales, trade etc. (102)- receipts under the State Sales Tax Act" shall be substituted;
- (33) after Form 32-A, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM 32-B
[See Rule 45(2-C)]

**Enrolment Certificate under sub-section (2A) of Section 26 of the
Madhya Pradesh Vat Act, 2002**

No. 23

This is to certify that _____ (Name and address of the Central / State Government's department /Public Sector Undertaking / Local Body / Public Limited Company) (address), is enrolled under sub-section (2-A) of section 26 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, with effect from_____ (date).

Seal

Date _____

Signature
Designation".

- (34) after Form 40, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM 40-A
(See Rule 53)

**Application for provisional refund under Section 37-A of the
Madhya Pradesh Vat Act, 2002**

To,

.....
.....
.....

I, being eligible to claim refund of unadjusted input tax rebate under clause (ii) of sub-section (4) of Section 14 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, make an application for grant of provisional refund under

sub-section (1) of Section 37-A of the said Act. Particulars are given below :—

TIN 2 3

Period	DD	MM	YYYY	To	DD	MM	YYYY
--------	----	----	------	----	----	----	------

Name and address of the Dealer

(Affix seal)

1. Gross Turnover (GTO)
2. Deductions
3. Taxable Turnover (1-2)
4. Vat
5. Purchase Tax
- 5A. Amount payable u/s 9-C
- 5B. Amount payable u/s 26-A (5)
6. Reversal of Input Tax Rebate
7. Interest for Late Payment (if any)
8. Amount of Tax deferred / exempted
9. Total amount payable (4+5+5A+5B+6+7-8)
10. Input Tax Rebate
11. Input Tax Rebate carried forward from previous year
12. Other credits (TDS, RAO etc.)
13. Amount paid by challans
14. Input Tax Rebate carried over to next year
15. Unadjusted Input Tax Rebate claimed as refund

DECLARATION

I.....(Name) being..... of the above business firm do hereby declare that the information and particulars given above are true and correct to the best of my knowledge and belief, and are based on the returns submitted and the books of account.

Place :

Date :

Signature of the dealer

Note.—This form shall be signed by any person as prescribed in sub-rule (1) of rule 11 of Madhya Pradesh Vat Rules, 2006.

ACKNOWLEDGMENT

Form 40-A Receipt Number : Date : / /

TIN 2 3

Period	DD	MM	YYYY	To	DD	MM	YYYY
--------	----	----	------	----	----	----	------

Name of the Dealer and address

(Affix seal)

Circle office

Signature of Receiving Official
(Employee id:)".

(35) in Form 41-A,—

- (i) in PART-XI, in items (d) and (e), for the figure "25,000", the figure "40,000" shall be substituted;
- (ii) after item (m), in the note, for the bracket and letter "(f)", the bracket and letter "(d)" shall be substituted.

(36) after Form 61, the following Forms shall be inserted, namely :—

“FORM 61-A
[See rule 78 (1A)]

Application for enrolment under sub-section (1A) of Section 62 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002

To,

The(designation) ,
_____ Circle

I, _____ Proprietor/* Manager/* Director of proprietorship concern/* Firm/* Society/* Company known as _____ whose office is situated at (address) _____ hereby inform that,—

1. I am carrying on the business of transporting goods under the aforesaid name within jurisdiction of your circle.
2. I am involved in trans-shipment in the State of Madhya Pradesh of goods notified under sub-section (2) of Section 57 carried from a place outside the State to a place outside the State.

It is requested that an enrolment certificate be granted.

Place _____

Signature _____

Date _____

Status _____

ACKNOWLEDGMENT

Received an application in Form 61-A from Shri _____ of _____ (name of the business) _____ place on _____.

_____ (designation)
_____ Circle

“FORM 61-B
[See Rule 78(2A)]

Enrolment Certificate under sub-section (1A) of Section 62 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002

No. 2 3

This is to certify that _____ Proprietor/* Manager/* Director of proprietorship concern/* Firm/* Society/* Company known as _____ whose office is situated at (address) _____ and who is involved in trans-shipment in the State of Madhya Pradesh of goods notified under sub-section (2) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, carried from a place outside the State to a place outside the State, is enrolled under sub-section (1A) of Section 62 of the said Act, with effect from _____ (date).

Seal

Date _____

Signature
Designation.

"FORM 61-C
[See Rule 78 (2B)]

**Statement showing particulars of the goods trans-shipped under sub-section (1A) of Section 62 of the
Madhya Pradesh Vat Act, 2002**

Name and address of the transporter

Enrolment No.

Place of trans-shipment

Period

from _____ to _____

S. No.	Name and address of the consignor (with TIN)	Name and address of the consignee (with TIN)	Place from which goods dispatched	Destination (including District)	Invoice Number and date	Details of goods and Quantity/ Weight	Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Name and address of transporter before trans- shipment	Bulty No. and date/ vehicle No.	Name and address of transporter after trans- shipment	PAN / Service Tax Registration No. of transporter of column (11)	Bulty No. and date/ vehicle No.	Form 59 No. and date	Name of entry check- post	Name of exit check- post
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Place _____

Signature _____

Date _____

Status _____

ACKNOWLEDGMENT

Received an application in Form 61-C from Shri _____ of _____
(name of the business) _____ place on _____.

_____ (designation)
_____ Circle".

- (37) (i) The amendment made by clause (8) shall be applicable to the periods commencing on or after 1st April, 2013;
- (ii) The amendment made by clause (9) shall be applicable to the periods commencing on or after 1st April, 2012;
- (iii) The remaining amendments shall be applicable from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. R. QURESHI, Dy. Secy.